राश्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी ने भारत के संविधान की धारा 29 क के अन्तर्गत एंव राश्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी के संविधान की धारा 1 के अन्र्तगत संषोधन

8 दिसम्बर 2013 की बैठक मे सषोधन किया

राश्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी संविधान की धारा 1:–

उददेष्य

राश्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी का उददेष्य भारत के लोगो की भलाई और उन्नति के लिए है तथा षान्तिमय और संवैधानिक उपायो से भारत मे समाजवादी राज्य कायम करना है जो कि संसदीय जनतंत्र पर आधारित हो, जिसमे सम्पूर्ण भारत मे मजदूरों को न्याय मिल सके तथा अवसर और राजनैतिक, आर्थिक तथा सामाजिक आर्थिक मजदूर एकता अधिकारो की समानता हो तथा जिसका लक्ष्य विष्व–एकता षांति, मजदूर एकता, और विष्व बन्धुत्व हो तथा भारत के संविधान की घारा 29 क के अन्र्तगत 5 /उपधारा 1 के अधीन राश्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी निकाय विधि द्धारा स्थापित किए अनुसार भारत के संविधान मे पुर्ण विष्वास तथा निश्ठा रखेगे। भारत की एकता प्रभुख्ता और अंखडता बनाऐ रखेगे । भारत के संविधान के प्रति राश्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी सच्ची क्षद्धा और निश्ठा रखेगी ।

धारा–2

झंडा

राश्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी का झंडा लाल रंग, सफेद रंग, और काले रंग का होगा तथा उसके मध्य एक उंगली एकता को प्रतीक करता हुआ होगा चक्र इस प्रकार लाल, सफेद, काला तीन रंग मे तीरंगा होगा। यह झंडा प्रमाणित खादी का बना होगा।

धारा–3 अंग

राश्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी के अंग मजदूर एकता के पुर्ण अधिवेषन तथा विषेश अधिवेषन सहित निम्नलिखित होगे।राश्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी कार्य समिति (ग) प्रदेष मजदूर सगंठन (ध) जिला/षहर मजदूर सगंठन जिला मजदूर सगंठन की मातहत सगंठन जैसे ब्लॅाक या निर्वाचन क्षेत्र मजदूर सगंठन तथा अन्य मातहत सगंठन जोकि प्रतिबन्धित देष राश्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी के प्रधान कार्यालय/प्रदेष/क्षेत्रीय द्वारा निधारित की जायेगी।

राश्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी के अर्न्तगत निम्नलिखित 20 सेल कार्य करेगे ।

1–ःराश्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी 1ःकिसान सैल
2 ʿ राश्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी भ्रश्टाचार निरोधक सैल
3ःराश्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी बेरोजगार सैल
4–ःराश्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी महिला अपराध सैल
5–ःराश्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी कानूनी सहायता सैल
6–ःराश्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी झुग्गी झोपडी सैल
7–ःराश्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी विकंलाग न्याय सैल
8–ःराश्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी अल्पसरव्यक प्रकोश्ठ सैल
9–ःराश्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी अनुसुचित जाति एवं जनजाति सैल
10–ःराश्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी बाल्मीकि सैल
11–ःराश्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी आटो रिक्षा सैल
12–ःराश्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी डाक्टर न्याय सैल
13–ःराश्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी किरायेदार सैल
14–ःराश्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी ग्रामीण विकास सैल
15–ःराश्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी व्यापार मण्डल सैल
16–ःराश्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी पत्रकार न्याय सैल
17–ःराश्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी लेबर सैल
18–ःराश्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी रेहडी पटटरी खोमचा सैल
19–ःराश्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी नषा विरोधी सैल
20–ःराश्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी युवा मोर्चा सैल

धारा–4 क्षेत्रिय विभाजन

राश्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी के प्रदेष/क्षेत्रिय मजदूर सगंठन साधारणतः नीचे लिखे प्रदेषों/क्षेत्रिय स्थानो मे बनाई जायेगी या केन्द्रीय कार्यालय के आदेषानुसार प्रदेष के अन्तर्गत अन्य स्थान पर प्रदेष का प्रधान कार्यालय खोला जायेगा जिसके प्रधान कार्यालयों के स्थान उनके नाम के सामने दिये गए है।

प्रदेष का नाम : प्रदेष का प्रधान कार्यालय स्थान या केन्द्रीय कार्यालय लिखित आदेषानुसार प्रदेष के अन्तर्गत अन्य स्थान पर खोला जायेगा।

1.	आंध्र प्रदेष	हैदराबाद	2.	असम प्रदेष	गौहाटी
3.	बिहार	पटना	4.	बम्बई	बम्बई
5.	दिल्ली	दिल्ली	6.	गुजरात	अहमदाबाद

	प्रदेष	प्रदेष का प्रधान कार्यालय या प्रदेष के अन्तर्गत
7.	हरियाणा	चण्डीगढ़
8.	हिमाचल	षिमला
9.	जम्मू–कष्मीर	श्रीनगर
10.	कर्नाटक	बेगलूर
11.	केरल	त्रिवेंद्रम
12.	मध्यप्रदेष	भोपाल
13.	महाराश्ट्र	बम्बई
14.	मणीपुर	इम्फाल
15.	मेघालय	षिलाग
16.	नागालेड	कोहिमा
17.	उडीसा	भूवनेष्वर

18.	पंजाब	चण्डीगढ
19.	राजस्थान	जयपुर
20.	सिक्किम	गंगटोक
21.	तमिलनाडू	मद्रास
22.	त्रिपूरा	अगरतला
23.	उत्तर प्रदेष	लखनऊ
24.	पष्चिम बंगाल	कलकता
25	झारखण्ड प्रदेष	
26	उतराखण्ड प्रदेष	

क्षेत्रिये मजदूर संगठन जिनके प्रधान कार्यालय

1.	अरूणाचल	इटानगर	2.चण्डीगढ	चण्डीगढ
3.	गोआ,दमन व दीप	पणजी	4. मिजोरम	ऐजल
5.	पांडिचेरी	पांडिचेरी	6. बिहार	बिहार

नीचे दिए गए क्षेत्रों मे जिला मजदूर सगंठन, राश्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी गठित की जायेगी जिनके प्रधान कार्यालय के स्थान उनके नाम के सामने दिए गए है। ये जिला मजदूर सगंठन राश्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी की सीधी देख रेख मे काम करेगी।

	जिला	प्रधान कार्यालय या जिला के अन्तर्गत अन्य स्थान
1.	अण्डमान–निकोबार द्वीप समूह	पोर्ट ब्लेजर
2.	ददादरी–नगर–हवेली	सिलवासा
3.	लक्षद्वीप	कवारटटी

द:समस्त जिला प्रदेष कार्यालय का स्थान बदलने के लिए केन्द्रीय कार्यालय की लिखित राश्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी के राश्ट्रीय अध्यक्ष से अनुमति प्राप्त करनी होगी।

कार्य समिति :राश्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी अथवा संम्बन्धित राश्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी के केन्द्रीय कार्यालय की राय मालूम कर लेने के बाद किसी एक नए प्रदेष का गठन कर सकती है। किसी मौजूदा प्रदेष को खत्म कर सकती है। किन्ही मौजूदा प्रदेषो को मिलाकर एक प्रदेष बना सकती है। अथवा किसी एक प्रदेष के जिम्मे अन्य किसी एक प्रदेष के एक जिले,या उसके एक अथवा अनेक हिस्सो को सौप सकती है। कार्य समिति को भारत तथा किन्ही एक इलाको को जिन्हे किसी प्रदेष के राश्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी मे प्रतिनिधित्व नही दिया गया हो, जिस ढंग से भी वह उचित समझे उसी ढंग से प्रतिनिधित्व देने या इस प्रकार के किसी इलाके को अथवा उसके पडौस के प्रदेष या क्षेत्र में मिलने का आदेष देने का अधिकार होगा।

धारा–5 क सदस्यता

1. 18 वर्श या अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति जो धारा–1 को मान्यता हो फार्म क पर लिखित घोशणा करने पर और केबल पांच रूपया–वार्शिक चन्दा देने पर राश्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी का प्रारम्भिक सदस्य बन सकेगा बषर्ते कि वह किसी अन्य राजनीतिक, साम्प्रदायिक अथवा किसी और दल का सदस्य न हो जिसका पूथक संविधान, पृथक सदस्यता और पृथक कार्यक्रम हो।
2. कोई भी व्यक्ति अपने स्थायी निवास–स्थान अथवा उस जगह के अलावा जहां वह अपना काम–काज करता हो, प्रारम्भिक सदस्य बनने का अधिकार होगा।
3. प्रारम्भिक और क्रियाषील सदस्यता का कार्य काल वर्श की एक जनवरी से अथवा सदस्य के रूप में भर्ती होने की उसकी तारीख से लेकर आगामी वर्श के 31 दिसम्बर तक होगा।
4. प्रत्येक ब्लाक निर्वाचन क्षेत्र और षहर–कस्बा राश्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी के अधीन प्रारम्भिक

सदस्यों की स्थायी पंजिकाये रखी जायेगी जिनकी प्रतिया निर्धारित नियमानुसार जिला राश्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी को भेजी जाऐगी।

5. प्रारम्भिक सदस्यता का नवीनीकरण आवष्यक सदस्यता षुल्क जमा करने से पुरा हुआ माना जायेगा।

6. प्रारम्भिक सदस्यता द्वारा गया वार्शिक व चन्दा विभिन राश्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी के बीच निम्न लिखित अनुपात मे बाटा जाएगा।

राश्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी	केन्द्रिय कार्यालय	25 प्रतिषत
प्रदेष राश्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी	प्रदेष	25 ....
जिला राश्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी	जिला	25 ....
बलाक/अन्य मातहत राश्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी		25 ....

क्रियाषील सदस्यता

निम्नलिखित श्रेणी के व्यक्ति जो प्रारम्भिक सदस्य है, क्रियाषील सदस्य बनने के अधिकारी है

1. पंचायतो, खण्ड विकास समितिया, जिला परिशदो, नोटीफाइड एरिया कमेटियो, टाउन एरिया कमेटियो, नगरपालिकाओ, नगर निगम तथा अन्य स्थानीय निकायो महानगर परिशदो, राज्य विधान मण्डलो और संसद के सदस्य।
2. कार्यसमिति द्वारा मान्यता प्राप्त संगठनो से सक्रिय संम्बन्ध रखने वाले व्यक्ति
3. स्वतन्त्रता सेनानी, जिन्होने जेल भूगती हो या जिन्हे षहर से निकाल दिया गया हो या जो भूमिगत थे अथवा जिनको स्वाधीनता आन्दोलन मे नाम लेने के लिए दण्ड पडा।
4. कोई भी व्यकित जो लगातार दो वर्शो तक प्रारम्भिक रहा हो।
5. राश्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी के द्वारा स्वीकार अन्य कोई व्यक्ति अध्यक्ष